

राजस्थान राज–पत्र विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

भाद्र 25, सोमवार, शाके 1935— सितम्बर 16, 2013 Bhadra 25, Monday, Saka 1935—September 16, 2013

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम ।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग (ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 16, 2013

संख्या प.2(57)विधि/2/2013:—राजस्थान राज्य विधान—मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदया की अनुमति दिनांक 15 सितम्बर, 2013 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

मौलाना आजाद विश्वविद्यालय, जोधपुर अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 35)

[राज्यपाल महोदया की अनुमित दिनांक 15 सितम्बर, 2013 को प्राप्त हुई।]

राजस्थान राज्य में मौलाना आजाद विश्वविद्यालय, जोधपुर की स्थापना और निगमन के लिए और उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियम।

यतः, विश्व और देश में ज्ञान के सभी क्षेत्रों में तीव्र विकास के साथ—साथ कदम मिलाने को दृष्टि में रखते हुए युवाओं को उनके निकटतम स्थान पर अधुनातन शैक्षणिक सुविधाओं का उपबंध करने के लिए राज्य में विश्व स्तरीय आधुनिक अनुसंधान और अध्ययन सुविधाओं का सृजन करना आवश्यक है जिससे उन्हें विश्व की उदार आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था में मानव संसाधनों से संगत बनाया जा सके;

और यतः, ज्ञान के क्षेत्र में तीव्र प्रगति और मानव संसाधनों की परिवर्तनशील अपेक्षाओं से यह आवश्यक हो गया है कि शैक्षणिक अनुसंधान और विकास की ऐसी संसाधनपूर्ण और त्वरित और उत्तरदायी प्रणाली सृजित की जाये जो एक आवश्यक विनियामक व्यवस्था के अधीन उद्यमतापूर्ण उत्साह से कार्य कर सके और ऐसी प्रणाली, उच्चतर

शिक्षा में कार्यरत पर्याप्त संसाधन और अनुभव रखने वाली प्राइवेट संस्थाओं को विश्वविदयालयों की स्थापना करने के लिए अनुज्ञात करने से और ऐसे विश्वविदयालयों को ऐसे विनियामक उपबंधों से, जो ऐसी संस्थाओं के कुशल कार्यकरण को सूनिश्चित करें, निगमित करने से सुजित की जा सकती है;

और यतः, मारवाड् मुस्लिम एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसाइटी, जोधपूर, जो राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं.28) के अधीन रजिस्ट्रार, सोसाइटीज, जयपुर के कार्यालय में मूल रूप से मारवाड़ मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी, जोधपुर क नाम से रजिस्ट्रीकरण सं. 109/70-71 दिनांक 14.10.1970 पर रजिस्ट्रीकृत एक सोसाइटी है और जिसका नाम रजिस्ट्रार, सोसाइटीज, जोधपुर के कार्यालय में रजिस्ट्रीकरण सं.7158 दिनांक 17.11.2005 के अनुसार मारवाड़ मुस्लिम एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसाइटी, जोधपुर के रूप में परिवर्तित किया गया था, शिक्षा के क्षेत्र में लगी हुई है और विगत कई वर्षों से शैक्षणिक संस्थाएं चला रही है;

और यतः, उक्त मारवाड़ मुस्लिम एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसाइटी, जोधपुर ने राजस्थान राज्य में ग्राम बुझावड़, तहसील लूणी, जिला जोधपुर में अनुसूची 1 में यथा विनिर्दिष्ट भौतिक और शैक्षणिक दोनों प्रकार की शैक्षिक अवसंरचनाएं एक वर्ष में स्थापित करने का परिवचन दिया है और अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट शाखाओं में अनुसंधान और अध्ययन के लिए एक विश्वविदयालय में उक्त अवसंरचना का विनिधान करने के लिए सहमत हो गयी है और इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार विन्यास निधि की स्थापना में उपयोजित किये जाने के लिए दो करोड़ रुपये की रकम भी जमा करा दी है:

और यतः, उपर्युक्त अवसंरचना की पर्याप्तता की जांच राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त समिति द्वारा कर ली गयी है जिसके सदस्य कुलपति, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपूर, निदेशक, महाविद्यालय शिक्षा राजस्थान, जयपुर, संकायाध्यक्ष, अभियांत्रिकी संकाय, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपूर, संकायाध्यक्ष, प्रबंधन संकाय, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपूर,

संकायाध्यक्ष, विधि संकाय, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर और प्राचार्य, डॉ. सम्पूर्णानन्द चिकित्सा महाविद्यालय, जोधपुर थे;।

यतः, यदि उपर्युक्त अवसंरचना विश्वविद्यालय के रूप में निगमन में किया जाता है और उक्त मारवाड़ मुस्लिम एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसाइटी, जोधपुर को विश्वविद्यालय चलाने के लिए अनुज्ञात किया जाता है तो इससे राज्य की जनता के शैक्षणिक विकास में योगदान होगा:

अतः अब. भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है, अर्थात:-

- 1. सं**क्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ.—(**1) इस अधिनियम का नाम मौलाना आजाद विश्वविदयालय, जोधपुर अधिनियम, 2013 है।
 - (2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है।
 - (3) यह तूरन्त प्रवृत्त होगा।
- 2. परिभाषाएं.— इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो.
 - (क) ''अ.भा.त.शि.प.'' से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 (1987 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 52) के अधीन स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अभिप्रेत है;
 - (ख) ''वै.औ.अ.प.'' से केन्द्रीय सरकार की वित्तपोषण एजेन्सी— वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली अभिप्रेत है:
 - (ग) ''द्.शि.प.'' से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविदयालय अधिनियम, 1985 (1985 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 50) की धारा 28 के अधीन स्थापित दूरस्थ शिक्षा परिषद् अभिप्रेत है;
 - (घ) ''दूरस्थ शिक्षा'' से संचार अर्थात् प्रसारण, टेलीकॉस्टिंग, पत्राचार पाठचक्रम, सेमिनार, संपर्क कार्यक्रम और ऐसी ही किसी अन्य कार्यपद्धति के किसी भी दो या अधिक साधनों के संयोजन दवारा दी गयी शिक्षा अभिप्रेत है;
 - (ङ) ''वि.प्रौ.वि.''से केन्द्रीय सरकार का विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग अभिप्रेत है:

- (च) ''कर्मचारी'' से विश्वविदयालय में कार्य करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसमें विश्वविदयालय के अध्यापक, अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी सम्मिलित हैं:
- (छ) ''फीस'' से विश्वविदयालय दवारा छात्रों से किया गया संग्रहण, जिसे चाहे किसी भी नाम से जाना जाये, अभिप्रेत है. जो प्रतिदेय नहीं है: .
- (ज) ''सरकार'' से राजस्थान की राज्य सरकार अभिप्रेत है:
- (झ) ''उच्चतर शिक्षा'' से 10+2 स्तर से ऊपर ज्ञान के अध्ययन के लिए पाठचर्चा या पाठचक्रम का अध्ययन अभिप्रेत है:
- (ञ) ''छात्रावास'' से विश्वविदयालय या उसके महाविदयालयों, संस्थाओं या केन्द्रों के छात्रों के लिए विश्वविदयालय दवारा इस रूप में संधारित या मान्यताप्राप्त निवास स्थान अभिप्रेत
- (ट) ''भा.कृ.अ.प.'' से सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी–भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् अभिप्रेत है:
- (ठ) ''भा.आ.प.'' से भारतीय आयूर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं.102) की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अभिप्रेत है;
- (ड) ''रा.नि.प्र.प.'' से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक स्वायत्त संस्था–राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद, बंगलोर अभिप्रेत है:
- (ढ) ''रा.अ.शि.प.'' से राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 (1993 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 73) की धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अभिप्रेत है:
- (ण) ''निवेश बाह्य केन्द्र'' से विश्वविद्यालय द्वारा मुख्य निवेश के बाहर स्थापित उसका, उसकी घटक इकाई के रूप में प्रचालित और संधारित कोई केन्द्र अभिप्रेत है

जिसमें विश्वविद्यालय को पूरक स्विधाएं, संकाय और स्टाफ हो:

- (त) ''भा.भे.प.'' से भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 8) की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय भेषजी परिषद अभिप्रेत है:
- (थ) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये परिनियमों दवारा विहित अभिप्रेत है;
- (द) 'विनियमन निकाय'' से उच्चतर शिक्षा के शैक्षिक मानक स्निश्चित करने के लिए मानदण्ड और शर्ते अधिकथित करने के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि द्वारा या अधीन स्थापित या गठित कोई निकाय जैसे वि.अ.आ., अ.भा.त.शि.प., रा.अ.शि.प., भा.आ.प., दू.शि.प., रा.नि.प्र.प., भा.कृ.अ.प., वै.औ.अ.प. आदि अभिप्रेत हैं और इसमें राज्य सरकार सम्मिलित है;
- (ध) ''नियम'' से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियम अभिप्रेत हैं:
- (न) ''अनुसूची'' से इस अधिनियम की अनुसूची अभिप्रेत है;
- (प) ''प्रायोजक निकाय'' से मारवाड़ मुस्लिम एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसाइटी, जोधपुर, जो राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं.28) के अधीन रजिस्ट्रार, सोसाइटीज, जयपुर के कार्यालय मे मूल रूप से मारवाड़ मुस्लिम एजुकेशनल जोधपुर के नाम से रजिस्ट्रीकरण सं. 109 / 70-71 दिनांक 14.10.1970 पर रजिस्ट्रीकृत एक सोसाइटी है और जिसका नाम रजिस्ट्रार, सोसाइटीज, जोधपुर के कार्यालय में रजिस्ट्रीकरण सं.7158 दिनांक 17.11.2005 के अनुसार मारवाड़ मुस्लिम एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसाइटी, जोधपुर के रूप में परिवर्तित किया गया था. अभिप्रेत है:
- (फ) ''परिनियम'', 'आर्डिनेन्स, और 'विनियम'' से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विश्वविदयालय के क्रमशः परिनियम, आर्डिनेन्स और विनियम अभिप्रेत है:

- (ब) ''विश्वविद्यालय का छात्र'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक् रूप से संस्थित किसी उपाधि, डिप्लोमा या अन्य विद्या संबंधी उपाधि के लिए, जिसमें अनुसंधान उपाधि सम्मिलित है, पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन करने हेत् विश्वविद्यालय में नामांकित हो;
- (भ) ''अध्ययन केन्द्र'' से दूरस्थ शिक्षा के संदर्भ में सलाह देने, परामर्श करने या छात्रों दवारा अपेक्षित कोई अन्य सहायता देने के प्रयोजन के लिए विश्वविदयालय दवारा स्थापित और संधारित या मान्यता प्राप्त कोई केन्द्र अभिप्रेत है:
- (म) ''अध्यापक'' से विश्वविद्यालय के पाठचक्रम का अध्ययन करने के लिए छात्रों को शिक्षा देने या अनुसंधान में मार्गदर्शन करने या किसी भी अन्य रूप में मार्गदर्शन करने के लिए अपेक्षित कोई आचार्य, सह आचार्य, सहायक आचार्य या कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है:
- (य) ''वि.अ.आ.'' से विश्वविद्यालय अनुदान अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं.3) की धारा 4 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अभिप्रेत है: और
- (यक) ''विश्वविद्यालय'' से मौलाना आजाद विश्वविद्यालय, जोधपुर अभिप्रेत है।
- 3. निगमन.— (1) विश्वविद्यालय के प्रथम चेयरपर्सन और प्रथम प्रेसीडेन्ट और प्रबंध बोर्ड और विद्या परिषद के प्रथम सदस्य और ऐसे सभी व्यक्तियों, जो इसके पश्चात् ऐसे अधिकारी या सदस्य हो जाते हैं, जब तक वे ऐसा पद या सदस्यता धारण किये रहते हैं, से इसके दवारा मौलाना आजाद विश्वविद्यालय, जोधपुर के नाम से एक निगमित निकाय गठित किया जाता है।
- (2) अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट जंगम और स्थावर संपत्ति विश्वविद्यालय में निहित की जायेगी और प्रायोजक निकाय इस अधिनियम का प्रारंभ होने के ठीक पश्चात् ऐसा निहित करने के लिए कदम उटायेगा।

- (3) विश्वविद्यालय का शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुद्रा होगी और वह उक्त नाम से वाद ला सकेगा और उस पर वाद लाया जा सकेगा।
- (4) विश्वविद्यालय ग्राम बुझावड़, तहसील लूणी, जिला जोधपुर (राजस्थान) में अवस्थित होगा और वहीं उसका मुख्यालय होगाः

परन्तु विश्वविद्यालय, आरंभ में अपना कार्य अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट अपने अस्थायी निवेश से प्रारंभ करेगा और प्रायोजक निकाय दवारा इसको इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से अधिकतम दो वर्ष की कालाविध के भीतर—भीतर ग्राम बुझावड़, तहसील लूणी, जिला जोधपुर राजस्थान में इसके मुख्यालय में स्थानांतरित कर दिया जायेगाः

परन्तु यह और कि यदि प्रायोजक निकाय, प्रथम परन्तुक में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर—भीतर विश्वविद्यालय को इसके मुख्यालय में स्थानांतरित करने में विफल रहता है तो उक्त कालावधि की समाप्ति पर धारा 44 की उप—धारा (6) से (9) के उपबंध इस विश्वविद्यालय पर इस प्रकार लागू होंगे मानों कि इसके परिसमापन के आदेश इस धारा की उप—धारा (6) के अधीन किये जा चुके हों।

- 4. विश्वविद्यालय के उद्देश्य.— विश्वविद्यालय के उद्देश्य अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट शाखाओं में और ऐसी अन्य शाखाओं में, जो विश्वविद्यालय, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, समय—समय पर अवधारित करे, अनुसंधान और अध्ययन हाथ में लेने तथा उक्त शाखाओं में उत्कृष्टता प्राप्त करने और ज्ञान का प्रसार करने के हैं।
- **5. विश्वविद्यालय की शक्तियां और कृत्य.** विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, अर्थात् :—
 - (क) अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट शाखाओं में शिक्षण का उपबंध करना और अनुसंधान और ज्ञान के अभिवर्धन और प्रसार के लिए उपबंध करना;
 - (ख) ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो विश्वविद्यालय अवधारित करे, व्यक्तियों को परीक्षाओं, मूल्यांकन या किसी भी अन्य रीति से परीक्षण के आधार पर डिप्लोमा या प्रमाणपत्र देना और उपाधियां या अन्य शैक्षणिक उपाधियां प्रदान करना, और ठोस और पर्याप्त कारण से

किन्हीं भी ऐसे डिप्लोमों, प्रमाणपत्रों, उपाधियों या अन्य शैक्षणिक उपाधियों को वापस लेना:

- (ग) निवेश बाह्य अध्ययन और विस्तार सेवा आयोजित करना और हाथ में लेना:
- (घ) विहित रीति से मानद उपाधियां या अन्य उपाधियां प्रदान करनाः
- (ङ) पत्राचार सहित शिक्षण और ऐसे अन्य पाठ्यक्रम, जो अवधारित किये जायें, का उपबंध करना:
- (च) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित आचार्य पद, सह आचार्य पद, सहायक आचार्य पद और अन्य अध्यापन या शैक्षणिक पदों को संस्थित करना और उन पर नियुक्तियां करनाः
- (छ) प्रशासनिक, लिपिकवर्गीय और अन्य पदों को सृजित करना और उन पर नियुक्तियां करना;
- (ज) स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए किसी भी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्यरत विनिर्दिष्ट ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों को नियुक्त करना;
- (झ) किसी भी अन्य विश्वविदयालय या प्राधिकारी या संस्था के साथ ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजन के लिए सहकार सहयोग करना या सहयुक्त करना, विश्वविद्यालय अवधारित करे;
- (ञ) अध्ययन केन्द्र स्थापित करना, और अनुसंधान और शिक्षण के लिए विद्यालयों, संस्थाओं और ऐसे केन्द्रों, विशिष्ट प्रयोगशालाओं या अन्य इकाइयों का संधारण करना, जो विश्वविद्यालय की राय में उसके उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए आवश्यक हैं;
- (ट) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां, पदक और पुरस्कार संस्थित करना और प्रदान करना;
- (ठ) विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए छात्रावासों की स्थापना करना और उनका संधारण करना:

- (ड) अनुसंधान और परामर्श के लिए उपबंध करना, और उस प्रयोजन के लिए अन्य संस्थानों या निकायों के साथ ऐसे समझौते करना जो विश्वविदयालय आवश्यक समझे:
- (ढ) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए मानक अवधारित करना जिसमें परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की कोई भी अन्य रीति सम्मिलित हो सकेगी:
- (ण) फीसों और अन्य प्रभारों की मांग करना और संदाय प्राप्त
- (त) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास का पर्यवेक्षण करना और उनके स्वारथ्य और सामान्य कल्याण की अभिवृद्धि के लिए व्यवस्था करना;
- (थ) छात्राओं के संबंध में ऐसी विशेष व्यवस्थाएं करना जिन्हें विश्वविदयालय वांछनीय समझे:
- (द) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों में अनुशासन का विनियमन और प्रवर्तन करना और इस संबंध में ऐसे अनुशासनिक उपाय करना जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक समझा जाये;
- (ध) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण के उन्नयन के लिए व्यवस्था करना:
- (न) दान प्राप्त करना और किसी भी जंगम या स्थावर संपत्ति का अर्जन करना, धारण करना, प्रबंध करना और व्ययन करनाः
- (प) विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए, प्रायोजक निकाय के अनुमोदन से धन उधार लेना;
- (फ) प्रायोजक निकाय के अनुमोदन से विश्वविद्यालय की संपत्ति को बंधक या आडमान रखना:
- (ब) परीक्षा केन्द्र स्थापित करना;
- (भ) यह सूनिश्चित करना कि उपाधियों, डिप्लोमों, प्रमाणपत्रों और अन्य विदया संबंधी उपाधियों इत्यादि का स्तर उससे कम नहीं हो जो अ.भा.त.शि.प., रा.अ.शि.प., भा.आ.प., भा.भे.प. और शिक्षा के विनियमन के लिए

तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के दवारा या अधीन स्थापित वैसे ही अन्य निकायों दवारा अधिकथित किये गये हों;

- (म) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, राज्य के भीतर निवेश बाह्य केन्द्र स्थापित करनाः और
- (य) ऐसे सभी कार्य और बातें करना जो विश्वविद्यालय के सभी उद्देश्यों या उनमें से किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक, आनुषंगिक या सहायक हों।
- विश्वविद्यालय का स्व–वित्तपोषित विश्वविद्यालय स्व-वित्तपोषित होगा और राज्य सरकार से, कोई भी अनुदान या अन्य वित्तीय सहायता प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।
- 7. **संबद्ध करने की शक्ति का न होना**.— विश्वविद्यालय को किसी भी अन्य संस्था को संबद्ध करने या अन्यथा अपने विशेषाधिकार देने की शक्ति नहीं होगी।
- 8. विन्यास निधि.— (1) इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात यथाशक्य शीघ्र दो करोड रुपये की रकम से, जो प्रायोजक निकाय द्वारा राज्य सरकार को जमा करवा दी गयी है, विन्यास निधि स्थापित की जायेगी।
- (2) विन्यास निधि का प्रतिभूति निक्षेप के रूप में उपयोग यह स्निश्चित करने के लिए किया जायेगा कि विश्वविद्यालय इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन करता है और इस अधिनियम, परिनियमों और आर्डिनेंसों के उपबंधों के अनुसार कार्य करता है। यदि विश्वविद्यालय या प्रायोजक निकाय इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये परिनियमों, आर्डिनेंसों, विनियमों या नियमों के किसी भी उपबंध का उल्लंघन करता है तो राज्य सरकार को सम्पूर्ण विन्यास निधि या उसका भाग विहित रीति से समपहृत करने की शक्ति होगी।
- (3) विन्यास निधि से प्राप्त आय का उपयोजन विश्वविद्यालय की अवसंरचना के विकास के लिए किया जा सकेगा किन्त् उसका उपयोग विश्वविद्यालय के आवर्ती व्यय की पूर्ति करने में नहीं किया जायेगा।

- (4) विन्यास निधि की रकम, राज्य सरकार दवारा जारी की गयी या प्रत्याभृत दीर्घकालिक प्रतिभृतियों में विश्वविदयालय के नाम से विनिहित की जायेगी और विश्वविद्यालय के विघटन तक विनिहित रखी जायेगी या सरकारी खजाने में ब्याज वाले प्रायोजक निकाय के व्यक्तिगत जमा लेखा में जमा की जायेगी और विश्वविदयालय के विघटन तक जमा रखी जायेगी।
- (5) दीर्घकालिक प्रतिभूतियों में विनिधान के मामले में, प्रतिभूतियों के प्रमाणपत्र राज्य सरकार की सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जायेंगे और सरकारी खजाने में ब्याज वाले व्यक्तिगत जमा लेखा में जमा के मामले में जमा इस शर्त पर की जायेगी कि रकम राज्य सरकार की अनुज्ञा के बिना नहीं निकाली जायेगी।
- साधारण निधि.— विश्वविद्यालय एक निधि स्थापित करेगा जिसे साधारण निधि कहा जायेगा जिसमें निम्नलिखित जमा किया जायेगा, अर्थात:-
- (क) विश्वविदयालय दवारा प्राप्त फीस और अन्य प्रभार;
- (ख) प्रायोजक निकाय द्वारा किया गया कोई अभिदाय;
- (ग) विश्वविद्यालय द्वारा उसके उद्देश्यों के अनुसरण में दी गयी परामर्शी सेवा और किये गये अन्य कार्य से प्राप्त आय;
- (घ) न्यास, वसीयत, दान, विन्यास और अन्य कोई अनुदान;
- (ङ) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त समस्त अन्य राशियां।
- **10.साधारण निधि का उपयोजन.**—साधारण निधि का उपयोजन. विश्वविद्यालय के मामलों से संबंधित सभी आवर्ती या अनावर्ती व्ययों को पुरा करने में किया जायेगाः

परन्तु विश्वविद्यालय द्वारा कोई भी व्यय वर्ष के लिए कुल आवर्ती व्यय और कुल अनावर्ती व्यय की सीमाओं, जो प्रबंध बोर्ड दवारा नियत की जायें, के बाहर, प्रबंध बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के बिना, उपगत नहीं किया जायेगा।

- 11. विश्वविद्यालय के अधिकारी.— विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात:-
 - (i) चेयरपर्सनः

- (ii) प्रेसीडेन्ट;
- (iii) प्रति—प्रेसीडेन्ट;
- (iv) प्रोवोस्ट;
- (v) कुलानुशासकः,
- (vi) संकायों के संकायाध्यक्ष;
- (vii) कुल—सचिव;
- (viii) मुख्य वित्त और लेखा अधिकारी; और
- (ix) ऐसे अन्य अधिकारी जिन्हें परिनियमों दवारा विश्वविद्यालय के अधिकारी होना घोषित किया जाये।
- 12. चेयरपर्सन.— (1) चेयरपर्सन, राज्य सरकार की सहमति से प्रायोजक निकाय द्वारा, उसके पद ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि के लिए नियुक्त किया जायेगा;

परन्तु चेयरपर्सन, उसकी पदावधि समाप्त होने पर भी तब तक पद धारण करेगा जब तक कि उसका पदोत्तरवर्ती पद ग्रहण नहीं कर लेता है।

- (2) चेयरपर्सन के पद की कोई रिक्ति ऐसी रिक्ति की तारीख से छह मास के भीतर-भीतर भरी जायेगी।
- (3) चेयरपर्सन, उसके पदाभिधान से विश्वविद्यालय का प्रधान होगा।
- (4) चेयरपर्सन, यदि उपस्थित हो, प्रबंध बोर्ड की बैठकों की, और उपाधियां, डिप्लोमे या अन्य विदया संबंधी उपाधियां प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की, अध्यक्षता करेगा।
 - (5) चेयरपर्सन की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात:—
 - (क) विश्वविद्यालय के कार्यकलापों के संबंध में किसी भी सूचना या अभिलेख की अपेक्षा करना;
 - (ख) प्रेसीडेन्ट नियुक्त करना;
 - (ग) धारा 13 की उप–धारा (8) के उपबंधों के अनुसार प्रेसीडेन्ट को हटानाः और
 - (घ) ऐसी अन्य शक्तियां जो परिनियमों दवारा विहित की जायें।

13. प्रेसीडेन्ट.— (1) प्रेसीडेन्ट की नियुक्ति प्रबंध बोर्ड द्वारा सिफारिश किये गये तीन व्यक्तियों के पैनल में से चेयरपर्सन दवारा की जायेगी और वह उप–धारा (8) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अध्यधीन रहते हए, तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारित करेगाः

परन्तु तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् वह व्यक्ति तीन वर्ष की अन्य अवधि के लिए पनर्नियुक्ति का पात्र होगाः

परन्तु यह और कि प्रेसीडेन्ट उसकी अवधि समाप्त होने पर भी तब तक पद धारित करेगा जब तक कि उसका पदोत्तरवर्ती पद ग्रहण नहीं कर लेता है।

- (2) प्रेसीडेन्ट के पद की कोई रिक्ति ऐसी रिक्ति की तारीख से छह मास के भीतर-भीतर भरी जायेगी।
- (3) प्रेसीडेन्ट विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के कार्यकलापों का साधारण अधीक्षण और नियंत्रण करेगा और विश्वविदयालय के प्राधिकारियों के विनिश्चयों का निष्पादन करेगा।
- (4) प्रेसीडेन्ट, चेयरपर्सन की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा।
- (5) यदि प्रेसीडेन्ट की राय में किसी भी ऐसे मामले में तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो जिसके लिए शक्तियां इस अधिनियम के दवारा या अधीन किसी भी अन्य प्राधिकारी को प्रदत्त की गयी हैं तो वह ऐसी कार्रवाई कर सकेगा जो वह आवश्यक समझे और तत्पश्चात् अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट सर्वप्रथम अवसर पर ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी को करेगा जिसने सामान्य अनुक्रम में मामले को निपटाया होताः

परन्तु यदि संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी की राय में ऐसी कार्रवाई प्रेसीडेन्ट द्वारा नहीं की जानी चाहिए थी तो ऐसा मामला चेयरपर्सन को निर्दिष्ट किया जायेगा जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगाः

परन्तु यह और कि जहां प्रेसीडेन्ट द्वारा की गयी ऐसी कोई भी कार्रवाई विश्वविद्यालय की सेवा में के किसी भी व्यक्ति को प्रभावित करती है तो ऐसा व्यक्ति, उसे संसचित ऐसी कार्रवाई की तारीख से तीन मास के भीतर-भीतर प्रबंध बोर्ड को अपील करने का हकदार होगा और

प्रबंध बोर्ड, प्रेसीडेन्ट दवारा की गयी कार्रवाई को पृष्ट या उपांतरित कर सकेगा या उलट सकेगा।

- (6) यदि, प्रेसीडेन्ट की राय में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का कोई भी विनिश्चय इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये परिनियमों, आर्डिनेंसों, विनियमों या नियमों दवारा प्रदत्त शक्तियों के बाहर है या उससे विश्वविद्यालय के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है तो वह संबंधित प्राधिकारी को उसके विनिश्चय की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर-भीतर विनिश्चय का पुनरीक्षण करने का निदेश दे सकेगा और यदि वह प्राधिकारी ऐसे विनिश्चय का पुनरीक्षण करने से इन्कार करता है या विफल रहता है तो ऐसा मामला चेयरपर्सन को निर्दिष्ट किया जायेगा और उस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।
- (7) प्रेसीडेन्ट ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों या आर्डिनेंसों दवारा विहित किये जायें।
- (8) यदि चेयरपर्सन का, उसको किये गये किसी अभ्यावेदन पर या अन्यथा की गयी या करवायी गयी जांच पर यह समाधान हो जाये कि प्रेसीडेन्ट का उसके पद पर बने रहना विश्वविदयालय के हितों के प्रतिकूल है या उस स्थिति में ऐसा अपेक्षित हो तो वह लिखित आदेश द्वारा, उसमें ऐसा करने के कारणों को वर्णित करते हुए, प्रेसीडेन्ट से ऐसी तारीख से, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, उसका पद छोड़ने के लिए कह सकेगाः

परन्तु इस उप–धारा के अधीन कोई कार्रवाई करने के पूर्व प्रेसीडेन्ट को सुनवाई का अवसर दिया जायेगा।

- 14. प्रति-प्रेसीडेन्ट.— (1) प्रति-प्रेसीडेन्ट की नियुक्ति चेयरपर्सन दवारा प्रेसीडेन्ट के परामर्श से की जायेगी।
- (2) प्रति–प्रेसीडेन्ट तीन वर्ष की कालावधि के लिए पद धारित करेगा और दूसरी पदावधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा।
- (3) प्रति–प्रेसीडेन्ट की सेवा की शर्ते ऐसी होंगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जायें।
- (4) यदि चेयरपर्सन का, उसको किये गये किसी अभ्यावेदन पर या अन्यथा की गयी या करवायी गयी जांच पर यह समाधान हो जाये

कि प्रति–प्रेसीडेन्ट का उसके पद पर बने रहना विश्वविद्यालय के हितों के प्रतिकूल है या उस स्थिति में ऐसा अपेक्षित हो तो वह लिखित आदेश द्वारा, उसमें ऐसा करने के कारणों को वर्णित करते हुए, प्रति–प्रेसीडेन्ट से ऐसी तारीख से, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, उसका पद छोड़ने के लिए कह सकेगा:

परन्त् इस उप-धारा के अधीन कोई कार्रवाई करने के पूर्व प्रति प्रेसीडेन्ट को सूनवाई का अवसर दिया जायेगा।

- (5) प्रति—प्रेसीडेन्ट, ऐसे मामलों में, जो प्रेसीडेन्ट दवारा उसे समय-समय पर समन्देशित किये जायें, प्रेसीडेन्ट की सहायता करेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो प्रेसीडेन्ट दवारा उसे प्रत्यायोजित किये जायें।
- **15. प्रोवोस्ट.** (1) प्रोवोस्ट की नियुक्ति प्रेसीडेन्ट द्वारा ऐसी कालावधि के लिए और ऐसी रीति से की जायेगी जो परिनियमों दवारा विहित की जाये।
- (2) प्रोवोस्ट विश्वविद्यालय में अनुशासन को सुनिश्चित करेगा और अध्यापकों और कर्मचारियों के विभिन्न संघों को विश्वविदयालय की विभिन्न नीतियों और पद्धतियों के बार में सूचित करेगा।
- (3) प्रोवोस्ट ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों दवारा विहित किये जायें।
- **16. कुलानुशासक.** (1) कुलानुशासक की नियुक्ति प्रेसीडेन्ट द्वारा ऐसी कालावधि के लिए और ऐसी रीति से की जायेगी जो परिनियमों दवारा विहित की जाये।
- (2) कुलानुशासक छात्रों में अनुशासन बनाये रखने और विभिन्न छात्र संघों को विश्वविदयालय की विभिन्न नीतियों और पद्धतियों के बारे में सचित करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- (3) कुलानुशासक ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों दवारा विहित किये जायें।
- **17. संकाय का संकायाध्यक्ष.** (1) प्रत्येक संकाय के लिए एक संकायाध्यक्ष होगा जो प्रेसीडेन्ट द्वारा तीन वर्ष की कालावधि के लिए ऐसी रीति से नियुक्त किया जायेगा जो परिनियमों द्वारा विहित की जाये ।

- (2) संकायाध्यक्ष, प्रेसीडेन्ट के परामर्श से, जब कभी भी अपेक्षित हो, संकाय की बैठक बुलायेगा और उसकी अध्यक्षता करेगा। वह संकाय की नीतियां और विकास कार्यक्रम बनायेगा और उन्हें समुचित प्राधिकारियों को उनके विचारार्थ प्रस्तृत करेगा।
- (3) संकाय का संकायाध्यक्ष ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।
- 18. कुल-सचिव.- (1) कुल-सचिव की नियुक्ति चेयरपर्सन दवारा ऐसी रीति से की जायेगी जो परिनियमों दवारा विहित की जाये।
- (2) विश्वविद्यालय की ओर से कूल-सचिव द्वारा सभी संविदाएं हस्ताक्षरित और सभी दस्तावेज तथा अभिलेख अधिप्रमाणित किये जायेंगे।
- (3) कूल-सचिव प्रबंध बोर्ड और विद्या परिषद् का सदस्य-सचिव होगा किन्तु उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा।
- (4) कुल-सचिव ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों दवारा विहित किये जायें।
- 19. मुख्य वित्त और लेखा अधिकारी.— (1) प्रेसीडेन्ट द्वारा मुख्य वित्त और लेखा अधिकारी की नियक्ति ऐसी रीति से की जायेगी जो परिनियमों दवारा विहित की जाये।
- (2) मुख्य वित्त और लेखा अधिकारी ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।
- 20. अन्य अधिकारी.— (1) विश्वविद्यालय इतने अन्य अधिकारियों की नियुक्ति कर सकेगा जितने उसके कृत्यकरण के लिए आवश्यक हों।
- (2) ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति की रीति और शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।
- 21. विश्वविद्यालय के प्राधिकारी.— विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे, अर्थात:-
 - (i) प्रबंध बोर्ड:
 - (ii) विद्या परिषद्;

- (iii) संकाय; और
- (iv) ऐसे अन्य प्राधिकारी, जिन्हें परिनियमों दवारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी होना घोषित किया जाये।
- **22. प्रबंध बोर्ड**.— (1) विश्वविदयालय के प्रबंध बोर्ड में निम्नलिखित होंगे, अर्थात:-
 - (क) चेयरपर्सन:
 - (ख) प्रेसीडेन्ट;
 - (ग) प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्देशित पांच व्यक्ति जिनमें सें दो विख्यात शिक्षाविद् या अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट शाखाओं के विशेषज्ञ होंगे;
 - (घ) चेयरपर्सन द्वारा नामनिर्देशित, विश्वविद्यालय के बाहर से प्रबंध या सूचना प्रौद्योगिकी का एक विशेषज्ञ;
 - (ङ) चेयरपर्सन द्वारा नामनिर्देशित एक वित्त विशेषज्ञ
 - (च) आयुक्त, महाविद्यालय शिक्षा या उसका नामनिर्देशिती, जो उप सचिव से नीचे की पंक्ति का न हो; और
 - (छ) प्रेसीडेन्ट दवारा नामनिर्देशित दो अध्यापक ।
- (2) प्रबंध बोर्ड, विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक निकाय होगा। विश्वविद्यालय की समस्त जंगम और स्थावर संपत्ति प्रबंध बोर्ड में निहित होगी। उसकी निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात:-
 - (क) ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग करते हए, जो इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये परिनियमों, आर्डिनेंसों, विनियमों या नियमों द्वारा उपबंधित हैं, साधारण अधीक्षण और निदेशन का उपबंध करना और विश्वविद्यालय के कार्यकरण पर नियंत्रण करना;
 - (ख) विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों द्वारा किये गये विनिश्चयों का उस दशा में पुनरीक्षण करना जब वे इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये परिनियमों, आर्डिनेंसों, विनियमों या नियमों के अनुरूप न हों;
 - (ग) विश्वविद्यालय के बजट और वार्षिक रिपोर्ट का अनुमोदन करना;

- (घ) विश्वविद्यालय द्वारा अनुसरण की जाने वाली नीतियां अधिकथित करनाः
- (ड) विश्वविद्यालय के स्वैच्छिक परिसमापन के बारे में प्रायोजक निकाय को सिफारिशें करना, यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जब सभी प्रयासों के बावजूद विश्वविदयालय का सहज कृत्यकरण संभव न हो; और
- (च) ऐसी अन्य शक्तियां जो परिनियमों दवारा विहित की जायें।
- (3) प्रबंध बोर्ड की किसी कलैंडर वर्ष में कम से कम तीन बैठकें होंगी।
 - (4) प्रबंध बोर्ड की बैठकों की गणपूर्ति पांच से होगी।
- 23. विद्या परिषद्.— (1) विद्या परिषद में प्रेसीडेन्ट और इतने अन्य सदस्य होंगे जितने परिनियमों दवारा विहित किये जायें।
 - (2) प्रेसीडेन्ट विद्या परिषद् का अध्यक्ष होगा।
- (3) विद्या परिषद् विश्वविद्यालय का प्रधान शैक्षणिक निकाय होगी और इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों, विनियमों, परिनियमों या आर्डिनेंसों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय की शैक्षिक नीतियों में समन्वय रखेगी और उन पर साधारण अधीक्षण का प्रयोग करेगी।
- (4) विद्या परिषद् की बैठकों के लिए गणपूर्ति ऐसी होगी जो परिनियमों दवारा विहित की जाये।
- 24. अन्य प्राधिकारी.— विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों की संरचना, गठन, शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जो परिनियमों दवारा विहित किये जायें।
- 25. प्राधिकारी की सदस्यता के लिए निरर्हता.— कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किन्हीं भी प्राधिकारियों का सदस्य होने के लिए निरहित होगा, यदि वह -
 - (क) विकृत चित्त है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित है;
 - (ख) अनुन्मोचित दिवालिया है;
 - (ग) नैतिक अधमता से अन्तर्वलित किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है:

- (घ) प्राइवेट कोचिंग कक्षाएं संचालित कर रहा है या उसमें स्वयं लग रहा है: या
- (ङ) किसी परीक्षा का संचालन करने में किसी भी रूप में कहीं पर भी अनुचित आचरण में लिप्त रहने या उसको बढ़ावा देने के लिए दण्डित किया गया है।
- 26. रिक्तियों से विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना.— विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी का कोई कार्य या कार्यवाही उसके गठन में मात्र किसी रिक्ति के या त्रुटि के कारण से अविधिमान्य नहीं होगी।
- 27. आपात रिक्तियों का भरा जाना.— किसी सदस्य की मृत्य, त्यागपत्र या उसे हटाये जाने के कारण या जिस हैसियत से उसे नियुक्त या नामनिर्दिष्ट किया गया था उसमें परिवर्तन होने के कारण विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों की सदस्यता में हुई कोई भी रिक्तियां यथासंभव शीघ्र ऐसे व्यक्ति या ऐसे निकाय द्वारा भरी जायेंगी जिसने ऐसे सदस्य को नियुक्त या नामनिर्दिष्ट किया था:

परन्तु किसी आपात रिक्ति के आधार पर विश्वविद्यालय के प्राधिकारी क सदस्य के रूप में नियुक्त या नामनिर्दिष्ट व्यक्ति ऐसे सदस्य की, जिसके स्थान पर उसे नियुक्त या नामनिर्दिष्ट किया गया है, केवल शेष अवधि के लिए ऐसे प्राधिकारी का सदस्य रहेगा।

- 28. समिति.— विश्वविद्यालय के प्राधिकारी या अधिकारी ऐसे निर्देश-निबंधनों सहित इतनी समितियां गठित कर सकेंगे जो ऐसी समितियों दवारा सम्पादित किये जाने वाले विनिर्दिष्ट कार्यों के लिए आवश्यक हों। ऐसी समितियों का गठन और उनके कर्तव्य ऐसे होंगे जो परिनियमों दवारा विहित किये जायें।
- 29. परिनियम.—(1) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय के परिनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं भी मामलों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात:-
 - (क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों का गठन, शक्तियां और कृत्य, जो समय-समय पर गठित किये जायें;
 - (ख) प्रेसीडेन्ट की नियुक्ति के निबंधन और शर्ते और उसकी शक्तियां और कृत्य;

- (ग) कुल–सचिव और मुख्य वित्त और लेखा अधिकारी की नियुक्ति की रीति और निबंधन तथा शर्ते और उनकी शक्तियां और कृत्य;
- (घ) वह रीति जिससे और ऐसी कालावधि जिसके लिए प्रोवोस्ट और कुलानुशासक नियुक्त किये जायेंगे और उनकी शक्तियां और कृत्य;
- (ङ) वह रीति जिससे संकाय का संकायाध्यक्ष नियुक्त किया जायेगा और उसकी शक्तियां और कृत्य;
- (च) अन्य अधिकारियों और अध्यापकों की नियुक्ति की रीति और निबंधन तथा शर्ते और उनकी शक्तियां और कृत्य;
- (छ) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा के निबंधन तथा शर्ते और उनके कृत्य;
- (ज) अधिकारियों, अध्यापकों, कर्मचारियों और छात्रों के मध्य विवादों के मामले में माध्यस्थम के लिए प्रक्रिया:
- (झ) मानद उपाधियों का प्रदान किया जाना;
- (ञ) छात्रों को अध्यापन फीस के संदाय से छूट देने और उन्हें छात्रवृत्तियां और अध्येतावृत्तियां प्रदान करने के संबंध में उपबंध:
- (ट) स्थानों के आरक्षण के विनियमन सहित, प्रवेश की नीति से संबंधित उपबंध:
- (ठ) छात्रों से प्रभारित की जाने वाली फीस से संबंधित उपबंध:
- (ड) विभिन्न पाठ्यक्रमों में स्थानों की संख्या से संबंधित उपबंध:
- (ढ) विश्वविद्यालय के नये प्राधिकारियों का सृजन;
- (ण) लेखा नीति और वित्तीय प्रक्रिया;
- (त) नये विभागों का सृजन और विद्यमान विभागों का समापन या पुनःसंरचनाः
- (थ) पदक और पुरस्कार संस्थित करना;
- (द) पदों के सृजन और पदों की समाप्ति के लिए प्रक्रिया;
- (ध) फीस का पुनरीक्षण;

- (न) विभिन्न पाठ्य विवरणों में स्थानों की संख्या का परिवर्तन; और
- (प) समस्त अन्य मामले जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन परिनियमों दवारा विहित किये जाने अपेक्षित हैं या विहित किये जायें।
- (2) विश्वविदयालय के परिनियम प्रबंध बोर्ड दवारा बनाये जायेंगे और राज्य सरकार को उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तृत किये जायेंगे।
- (3) राज्य सरकार विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तृत किये गये परिनियमों पर विचार करेगी और ऐसे उपान्तरणों, यदि कोई हों, सहित, जो वह आवश्यक समझे, उनकी प्राप्ति की तारीख से दो मास के भीतर-भीतर उनका अनुमोदन करेगी।
- (4) विश्वविद्यालय राज्य सरकार द्वारा यथा-अनुमोदित परिनियमों पर अपनी सहमति से संसूचित करेगा और यदि वह उप-धारा (3) के अधीन राज्य सरकार द्वारा किये गये किन्हीं भी या समस्त उपांतरणों को प्रभावी करने का इच्छ्क नहीं है ता वह उसके लिए कारण दे सकेगा और ऐसे कारणों पर विचार करने के पश्चात् राज्य सरकार विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये सुझावों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगी।
- (5) राज्य सरकार उसके द्वारा अंतिम रूप से यथा अनुमोदित परिनियमों को राजपत्र में प्रकाशित करेगी और तत्पश्चात् परिनियम ऐसे प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 30. आर्डिनेन्स.— (1) इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये परिनियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हए, आर्डिनेन्सों में निम्नलिखित समस्त या किन्हीं भी मामलों के संबंध में उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात:-
 - (क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश और इस रूप में उनका नामांकन:
 - (ख) विश्वविद्यालय की उपाधियों, डिप्लोमों और प्रमाणपत्रों के लिए अधिकथित किये जाने वाले पाठयक्रम;
 - (ग) उपाधियां, डिप्लोमे, प्रमाणपत्र और अन्य विदया संबंधी उपाधियां प्रदान करना, उनके लिए न्यूनतम अर्हताएं और

उनके प्रदान किये जाने और अभिप्राप्त किये जाने के संबंध में किये जाने वाले उपाय;

- (घ) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, वृत्तिकाएं, पदक और पुरस्कार प्रदान किये जाने की शर्ते;
- (ङ) परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों की पदावधि और नियुक्ति की रीति और कर्तव्यों को सम्मिलित करते हुए परीक्षाओं का संचालन;
- (च) विश्वविद्यालय के पाठचक्रमों, परीक्षाओं, उपाधियों और डिप्लोमों के लिए प्रभारित को जाने वाली फीस;
- (छ) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास की शर्तेः
- (ज) छात्रों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के संबंध में उपबंध;
- (झ) ऐसे किसी अन्य निकाय का सृजन, संरचना और कृत्य जो विश्वविद्यालय के शैक्षिक जीवन में सुधार करने के लिए आवश्यक समझा जाये;
- (ञ) अन्य विश्वविद्यालयों और उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के साथ सहकार और सहयोग की रीति; और
- (ट) समस्त अन्य मामले जो इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये परिनियमों द्वारा आर्डिनेन्सों द्वारा उपबंधित किये जाने अपेक्षित हों।
- (2) विश्वविद्यालय के आर्डिनेन्स विदया परिषद द्वारा बनाये जायेंगे जिन्हें प्रबंध बोर्ड द्वारा अनुमोदित किये जाने के पश्चात्, राज्य सरकार को उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जायेगा।
- (3) उप—धारा (2) के अधीन प्रस्तुत आर्डिनेन्सों पर राज्य सरकार, उनकी प्राप्ति की तारीख से दो मास के भीतर—भीतर विचार करेगी और या तो उन्हें अनुमोदित करेगी या उनमें उपान्तरण के लिए सुझाव देगी।
- (4) विद्या परिषद्, या तो राज्य सरकार के सुझावों को सिम्मिलित करते हए आर्डिनेन्सों को उपान्तरित करेगी या राज्य सरकार द्वारा दिये गये किन्हीं भी सुझावों को सिम्मिलित न करने के कारण देगी और ऐसे कारण, यदि कोई हों, के साथ आर्डिनेन्स राज्य सरकार को वापस भेजेगी और उनकी प्राप्ति पर राज्य सरकार विद्या परिषद् की

टिप्पणियों पर विचार करेगी और विश्वविदयालय के आर्डिनेन्सों को ऐसे उपान्तरणों सहित या उनके बिना अनुमोदित करेगी।

- 31. विनियम.— विश्वविद्यालय के प्राधिकारी, प्रबंध बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन रहते हए, अपने स्वयं के और उनके द्वारा नियुक्त समितियों के कारबार के संचालन के लिए, इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों परिनियमों और आर्डिनेन्सों से संगत विनियम बना सकेंगे।
- 32. प्रवेश.— (1) विश्वविद्यालय में प्रवेश सर्वथा योग्यता के आधार पर किये जायेंगे।
- (2) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए योग्यता या तो अर्हक परीक्षा में प्राप्त अंकों या ग्रेड और सह-पाठचचर्या और पाठ्येतर क्रियाकलापों में उपलब्धियों के आधार पर या राज्य स्तर पर या तो समान पाठ्यक्रम संचालित करने वाले विश्वविद्यालयों के संगम द्वारा या राज्य की किसी एजेन्सी दवारा संचालित किसी प्रवेश परीक्षा में अभिप्राप्त अंकों या ग्रेड के आधार पर अवधारित की जा सकेगी:

परन्तु व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश केवल प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होगा।

- (3) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, विशेष पिछडे वर्गों. महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए आरक्षण, राज्य सरकार की नीति के अनुसार होगा।
- 33. फीस संरचना.— (1) विश्वविद्यालय समय-समय पर अपनी फीस संरचना तैयार करेगा और उसे इस प्रयोजन के लिए गठित समिति के अनुमोदन के लिए भेजेगा।
- (2) समिति विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की गयी फीस संरचना पर विचार करेगी और यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि प्रस्तावित फीस-
 - (क) निम्नलिखित के लिए, अर्थात्
 - (i) विश्वविद्यालय के आवर्ती व्यय की पूर्ति के लिए स्रोत जुटाने के लिए; और

(ii) विश्वविद्यालय के और विकास के लिए अपेक्षित बचतों के लिए,

पर्याप्त है: और

(ख) अयुक्तियुक्त रूप से अधिक नहीं है,

तो वह फीस संरचना का अनुमोदन कर सकेगी।

- (3) उप–धारा (2) के अधीन समिति द्वारा अनुमोदित फीस संरचना तीन वर्ष के लिए प्रवृत्त रहेगी और विश्वविद्यालय ऐसी फीस संरचना के अनुसार फीस प्रभारित करने का हकदार होगा।
- (4) विश्वविद्यालय ऐसी फीस से भिन्न, जिसके लिए वह उप-धारा (3) के अधीन हकदार है, किसी भी नाम से कोई फीस प्रभारित नहीं करेगा।
- **34. परीक्षाएं.** प्रत्येक शैक्षिक सत्र के प्रारम्भ पर और प्रत्येक कलैण्डर वर्ष की 30 अगस्त तक न कि उसके पश्चात् विश्वविद्यालय अपने द्वारा संचालित प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए परीक्षाओं की अनुसूची तैयार और प्रकाशित करेगा और उस अनुसूची का कड़ाई से पालन करेगा।

स्पष्टीकरण.— "परीक्षाओं की अनुसूची" से प्रत्येक प्रश्न पत्र, जो परीक्षा स्कीम का भाग हो. के प्रारम्भ के समय, दिन और तारीख के बारे में ब्यौरा देने वाली सारणी अभिप्रेत है और जिसमें प्रायोगिक परीक्षाओं का ब्यौरा भी सम्मिलित होगाः

परन्तु किसी भी प्रकार के किसी भी कारण से यदि विश्वविद्यालय इस अनुसूची का पालन करने में असमर्थ रहा हो तो वह यथासंभव एक रिपोर्ट, उसमें प्रकाशित अनुसूचो का अनुसरण न करने के कारण सम्मिलित करते हुए राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा। सरकार उस पर ऐसे निदेश जारी करेगी जो वह अनुसूची के अनुपालन के लिए उचित समझे।

35. परिणामों की घोषणा.— (1) विश्वविद्यालय अपने द्वारा संचालित प्रत्येक परीक्षा के परिणामों की घोषणा उस विशिष्ट पाठ्यक्रम की परीक्षा की अंतिम तारीख से तीस दिन के भीतर-भीतर करने का प्रयास करेगा और किसी भी दशा में ऐसे परिणाम ऐसी तारीख से ज्यादा से ज्यादा पैंतालीस दिन के भीतर-भीतर घोषित करेगाः

परन्तु किसी भी प्रकार के किसी भी कारण से यदि विश्वविदयालय उपर्युक्त पैंतालीस दिन की कालावधि के भीतर-भीतर किसी भी परीक्षा के परिणामों की अंतिम रूप से घोषणा करने में असमर्थ है तो विश्वविदयालय एक रिपोर्ट, उसमें विलम्ब के कारण सम्मिलित करते हुए राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा। राज्य सरकार उस पर ऐसे निदेश जारी करेगी जो वह उचित समझे।

- (2) कोई भी परीक्षा या किसी परीक्षा के परिणाम केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं ठहराये जायेंगे कि विश्वविदयालय ने धारा 34 या, यथास्थिति, इस धारा में यथा-नियत समय अनुसूची का पालन नहीं किया है।
- **36. दीक्षांत समारोह.**—विश्वविदयालय का दीक्षांत समारोह प्रत्येक शैक्षिक वर्ष में उपाधियां, डिप्लोमे प्रदान करने या किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए परिनियमों दवारा यथाविहित रीति से आयोजित किया जायेगा।
- 37. विश्वविद्यालय का प्रत्यायन.— विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद् (रा.नि.प्र.प.) के मानकों के अनुरूप रा.नि.प्र.प. से प्रत्यायन अभिप्राप्त करेगा और राज्य सरकार और ऐसे अन्य विनियमन निकायो को, जो विश्वविदयालय दवारा चलाये गये पाठचक्रमों से संबद्ध हैं, रा.नि.प्र.प. द्वारा विश्वविद्यालय को दिये ग्रेड के बारे में सूचित करेगा। विश्वविद्यालय रा.नि.प्र.प. के मानकों के अनुरूप समय-समय पर ऐसे प्रत्यायन को नवीकृत करवायेगा।
- 38. विश्वविद्यालय दवारा विनियमन निकायों के नियमों, विनियमों, मानकों इत्यादि का पालन किया जाना.— इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, विश्वविदयालय विनियमन निकायों के समस्त नियमों, विनियमों, मानकों इत्यादि का अनुपालन करने के लिए आबद्ध होगा और ऐसे निकायों को ऐसी सभी स्विधाएं और सहायता उपलब्ध करायेगा जिनकी उनके द्वारा उनके कृत्यों का निर्वहन और उनके कर्तव्यों का पालन करने के लिए अपेक्षा की जाये।
- 39. वार्षिक रिपोर्ट.—(1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट प्रबंध बोर्ड द्वारा तैयार की जायेगी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ विश्वविद्यालय द्वारा अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उठाये गये कदम

सम्मिलित होंगे और उसकी प्रति प्रायोजक निकाय को प्रस्तुत की जायेगी।

- (2) उप-धारा (1) के अधीन तैयार की गयी वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां राज्य सरकार को भी प्रस्तृत की जायेंगी।
- **40.वार्षिक लेखे और संपरीक्षा**.—(1) विश्वविद्यालय के तुलनपत्र सहित वार्षिक लेखे प्रबंध बोर्ड के निदेशों के अधीन तैयार किये जायेंगे और वार्षिक लेखे विश्वविद्यालय द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त संपरीक्षकों द्वारा प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार संपरीक्षित किये जायेंगे।
- (2) संपरीक्षा रिपोर्ट सहित वार्षिक लेखों की एक प्रति प्रबंध बोर्ड को प्रस्तृत की जायेगी।
- (3) प्रबंध बोर्ड के संप्रेक्षणों सहित वार्षिक लेखे और संपरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति प्रायोजक निकाय को प्रस्तुत की जायेगी।
- (4) उप–धारा (1) के अधीन तैयार किये गये वार्षिक लेखे और तुलनपत्र की प्रतियां राज्य सरकार को भी प्रस्तृत की जायेंगी। विश्वविद्यालय के लेखों और संपरीक्षा रिपोर्ट से उद्भूत राज्य सरकार की राय, यदि कोई हो, प्रबंध बोर्ड के समक्ष रखी जायेगी। प्रबंध बोर्ड ऐसे निदेश जारी करेगा जो वह उचित समझे और अनुपालन के बारे में राज्य सरकार को रिपोर्ट की जायेगी।
- 41.राज्य सरकार की विश्वविद्यालय का निरीक्षण करने की शक्तियां.— (1) अध्यापन, परीक्षा और अनुसंधान या विश्वविद्यालय से संबंधित किसी भी अन्य विषय से संबंधित स्तर अभिनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों से, जिन्हें वह उचित समझे, निरीक्षण करवा सकेगी।
- (2) राज्य सरकार सधार कार्रवाई के लिए ऐसे निरीक्षण के परिणाम के संबंध में अपनी सिफारिशों से विश्वविद्यालय को संसूचित करेगी। विश्वविद्यालय ऐसे सुधार उपाय अपनायेगा और सिफारिशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के बारे में प्रयास करेगा।
- (3) यदि विश्वविद्यालय उप–धारा (2) के अधीन की गयी सिफारिशों का अनुपालन युक्तियक्त समय के भीतर –भीतर करने में

विफल रहा है तो राज्य सरकार ऐसे निदेश दे सकेगी जो वह ऐसे अनुपालन के लिए उचित समझे।

- 42. राज्य सरकार की सूचना की अपेक्षा करने की शिक्तियां.— (1) राज्य सरकार, विश्वविद्यालय से उसके कार्यकरण, कृत्यों, उपलब्धियों, अध्यापन के स्तर, परीक्षा और अनुसंधान या ऐसे किन्हीं भी अन्य मामलों के संबंध में, जो वह विश्वविद्यालय की दक्षता के निर्णयन के लिए आवश्यक समझे, ऐस प्ररूप में और ऐसे समय के भीतर, जो नियमों द्वारा विहित किया जाये, सुचना की अपेक्षा कर सकेगी।
- (2) विश्वविद्यालय, राज्य सरकार द्वारा उप—धारा (1) के अधीन यथा—अपेक्षित सूचना विहित समय के भीतर भिजवाने के लिए आबद्ध होगा।
- 43.प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय का विघटन.—
 (1) प्रायोजक निकाय, राज्य सरकार और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों को विहित रीति से इस प्रभाव का कम से कम एक वर्ष का अग्रिम रूप से नोटिस देकर विश्वविद्यालय का विघटन कर सकेगा:

परन्तु विश्वविद्यालय का विघटन राज्य सरकार के अनुमोदन और नियमित पाठ्यक्रम वाले छात्रों के अंतिम बैच दवारा अपना पाठ्यक्रम पूर्ण किये जाने और उन्हें उपाधियां, डिप्लोमे या, यथास्थिति, पुरस्कार प्रदान किये जाने के पश्चात् ही प्रभावी होगा।

- (2) विश्वविद्यालय के विघटन पर विश्वविद्यालय की समस्त आस्तियां और दायित्व प्रायोजक निकाय में निहित हो जायेंगे।
- 44.कितपय परिस्थितियों में राज्य सरकार की विशेष शक्तियां.— (1) यदि राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि विश्वविद्यालय ने इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों, परिनियमों या आर्डिनेन्सों के किन्हीं भी उपबंधों का उल्लंघन किया है या इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा जारी किये गये किन्हीं भी निदेशों का अतिक्रमण किया है या उसके द्वारा राज्य सरकार को दिये गये किन्हीं भी परिवचनों का पालन करना बंद कर दिया है या विश्वविद्यालय में वित्तीय कुप्रबंध या कुप्रशासन की स्थिति उत्पन्न हो गयी है तो वह विश्वविद्यालय को, पैंतालीस दिन के भीतर कारण दिश्ति करने की अपेक्षा करते हुए इस बारे

में नोटिस जारी करेगी कि उसके परिसमापन का आदेश क्यों नहीं किया जाना चाहिए।

- (2) यदि उप–धारा (1) के अधीन जारी किये गये नोटिस पर विश्वविद्यालय का जवाब प्राप्त होने पर राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों, परिनियमों, या आर्डिनेन्सों के किन्हीं भी उपबंधों के उल्लंघन का या इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा जारी किये गये निदेश के अतिक्रमण का, या उसके द्वारा दिये गये परिवचनों का पालन बंद करने का या वित्तीय कुप्रबंध या कुप्रशासन का प्रथमदुष्ट्या मामला है तो वह ऐसी जांच का आदेश करेगी जो वह आवश्यक समझे।
- (3) राज्य सरकार उप–धारा (2) के अधीन किसी जांच के प्रयोजनों के लिए किन्हीं भी अभिकथनों की जांच करने और उन पर रिपोर्ट करने के लिए किसी जांच अधिकारी या अधिकारियों की नियुक्ति करेगी।
- (4) उप–धारा (3) के अधीन नियुक्त जांच अधिकारी या अधिकारियों को वही शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता. 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 5) के अधीन सिविल न्यायालय में निम्नलिखित विषयों के संबंध में वाद का विचारण करते समय निहित होती हैं. अथात:-
 - (क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना:
 - (ख) कोई ऐसा दस्तावेज या कोई अन्य सामग्री जो साक्ष्य में पोषणीय हो, के प्रकटीकरण और उसे पेश किये जाने की अपेक्षा करनाः और
 - (ग) किसी न्यायालय या कार्यालय से लोक अभिलेख की अपेक्षा
- (5) इस अधिनियम के अधीन जांच कर रहे जांच अधिकारी या अधिकारियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं.2) की धारा 195 और अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जायेगा।

- (6) उप–धारा (3) के अधीन नियुक्त अधिकारी या अधिकारियों से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर, यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि विश्वविदयालय ने इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों, परिनियमों या आर्डिनेन्सों के किन्हीं भी उपबंधों का उल्लघंन किया है या इस अधिनियम के अधीन उसके दवारा जारी किन्हीं भी निदेशों का अतिक्रमण किया है या उसके दवारा दिये गये परिवचनों का पालन करना बंद कर दिया है या विश्वविद्यालय में वित्तीय कूप्रबंध और क्प्रशासन की स्थिति उत्पन्न हो गयी है जिससे विश्वविद्यालय के शैक्षणिक स्तर को खतरा है तो वह विश्वविद्यालय के परिसमापन के आदेश करेगी और एक प्रशासक नियुक्त करेगी और तत्पश्चात् विश्वविद्यालय के प्राधिकारी और अधिकारी उस प्रशासक के आदश और निदेश के अध्यधीन होंगे।
- (7) उप–धारा (6) के अधीन नियुक्त प्रशासक को इस अधिनियम के अधीन प्रबंध बोर्ड की समस्त शक्तियां होंगी और वह प्रबंध बोर्ड के समस्त कर्तव्यों के अध्यधीन होगा और विश्वविदयालय के कार्यकलापों का तब तक प्रशासन करेगा जब तक कि नियमित पाठयक्रम के छात्रों का अंतिम बैच अपना पाठ्यक्रम पूर्ण न कर ले और उन्हें उपाधियां, डिप्लोमे या, यथास्थिति, पुरस्कार प्रदान न कर दिये जायें।
- (8) नियमित पाठ्यक्रम के छात्रों के अंतिम बैचों को उपाधियां, डिप्लोमे या, यथास्थिति, पुरस्कार प्रदान किये जाने के पश्चात् प्रशासक इस प्रभाव की एक रिपोर्ट राज्य सरकार को करेगा।
- (9) उप–धारा (8) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विश्वविद्यालय को विघटित करने का आदेश जारी करेगी और ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विश्वविदयालय विघटित हो जायेगा और विश्वविदयालय की समस्त आस्तियां और दायित्व ऐसी तारीख से प्रायोजक निकाय में निहित हो जायेंगे।
- **45. नियम बनाने की शक्ति.** (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

- (2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, उनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिन से अन्यून की कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेंगे और यदि, उस सत्र की, जिसमें वे इस प्रकार रखे गये हैं या ठीक अगले सत्र की समाप्ति के पूर्व राज्य विधान-मण्डल का सदन ऐसे किन्हीं भी नियमों में कोई भी उपान्तरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसे कोई नियम नहीं बनाये जाने चाहिएं तो तत्पश्चात ऐसे नियम केवल ऐसे उपान्तरित रूप में प्रभावी होंगे या, यथारिथति, उनका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, ऐसा काई भी उपान्तरण या बातिलकरण उनके अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।
- **46. किताइयों के निराकरण की शक्ति.** (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उसे ऐसी कठिनाई का निराकरण करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो:

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से दो वर्ष की कालावधि की समाप्ति के पश्चात नहीं किया जायेगा।

- (2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उसके इस प्रकार किये जाने के पश्चात यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष रखा जायेगा।
- 47.अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना.-इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों, परिनियमों, आर्डिनेन्सों के उपबंध, उन मामलों के संबंध में जिनके बारे में राज्य विधान-मण्डल को विधि बनाने की अनन्य शक्तियां हैं, तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होने पर भी प्रभावी होंगे।

अनुसूची 1

अवसंरचना

1. भूमिः ग्राम बुझावड़, तहसील लूणी, जिला जोधपुर (राजस्थान) के खसरा सं. 433/38 में समाविष्ट 56 एकड़ भूमि।

2. भवन :

(i) प्रशासनिक खण्ड:

(क) इकाइयों की संख्या और प्रवगः 36

इकाइयों का प्रवर्ग	इकाइयों की संख्या
1	2
चेयरपर्सन के कार्यालय	2
प्रेसीडेन्ट का कार्यालय	1
प्रेसीडेन्ट के सचिव का कार्यालय	1
आगंतुक लाउन्ज	1
सुविधाएं	1
प्रेसीडेन्ट का सचिवालय	1
ऑडिटोरियम (सम्मेलन कक्ष)	1
श्रव्य पैनल कक्ष	1
1	2
छात्र परामर्शदाता का कार्यालय	1
कुलानुशासक का कार्यालय	1
कुल-सचिव के कार्यालय	2
कार्यालय कक्ष	8
जन संपर्क अधिकारी का कार्यालय	1
केरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ और	1
प्लेसमेंट प्रकोष्ठ	
शैक्षणिक शाखा	1
विकास शाखा	1
स्थापन शाखा	1
परीक्षा शाखा	1

निवेश रख–रखाव प्रकोष्ट	1
भंडार	1
स्वागत कक्ष	1
मुख्य वित्त और लेखा अधिकारी	1
का कार्यालय	
स्ट्रोंग रूम	1
लेखा अनुभाग	1
नकदी कार्यालय	1
बोर्ड बैठक कक्ष	1
गोपनीय शाखा	1
कुल	36

(ख) कुल आच्छादित क्षेत्र का माप : 2,102 वर्ग मीटर

(ii) शैक्षणिक खण्ड :

(क) इकाइयों की संख्या और प्रवर्ग : 70

इकाइयों का प्रवर्ग	इकाइयों की
	संख्या
1	2
संकायाध्यक्षों के कार्यालय	6
भंडार कक्ष	4
1	2
क्रीडा भंडार कक्ष	1
परीक्षा कक्ष	3
परीक्षा भंडार कक्ष	1
कर्मचारिवृन्द कक्ष	10
कार्यालय	4
विभागाध्यक्षों के कक्ष	4
प्रयोगशालाएं	19
बहुउद्देशीय हाल	2
स्वागत कक्ष	1
क्रीडा कक्ष	3
सेमीनार हाल	2

छात्रा कामन कक्ष	2
छात्र कामन कक्ष	2
सम्मेलन हाल	1
जेरोक्स कक्ष	1
श्रव्य—दृश्य कक्ष	1
केन्द्रीय पुस्तकालय	1
जनरेटर कक्ष	1
विश्राम कक्ष	1
कुल	70

(ख) कुल आच्छादित क्षेत्र का माप : 10,509 वर्ग मीटर

(iii) निवासीय खण्ड :

- (क) अध्यापकों / अधिकारियों के निवास :
- (i) इकाइयों की संख्या और प्रवर्ग : 2

इकाइयों का प्रवर्ग		इकाइयों की संख्या
कर्मचारिवन्द निवास		2
	कुल	2

- (ii) कुल आच्छादित क्षेत्र का माप रू 41 वर्ग मीटर
- (ख) छात्र निवास :
- (i) इकाइयों की संख्या और प्रवर्ग : 108

इकाइयों का प्रवर्ग	इकाइयों की संख्या
कक्ष	100
रसोई	2
रसोई भण्डार	2
वार्डन कक्ष	2
पुस्तकालय और आमोद–प्रमोद कक्ष	2
कुल	108

(ii) कुल आच्छादित क्षेत्र का माप : 4,092 वर्ग मीटर

कुल संनिर्मित क्षेत्र : 16,744 वर्ग मीटर

3. संकाय (वि.अ.आ. के मार्गदर्शन के अनुसार नियुक्त किए जाएंगे)

आचार्य	08
सह आचार्य	16
सहायक आचार्य	32

4. शैक्षणिक सुविधाएं :

(i) पुस्तकालय : 01

शाखा	पुस्तकें	शीर्षक	एनसाइक्लोपीडिया
शिक्षा	8,344	894	09
नर्सिंग	2,419	633	02
कला	210	60	08
वाणिज्य	186	178	_
कम्प्यूटर	36	22	_
विज्ञान			
कुल	11,195	1,787	19

(ii) प्रयोगशालाः 19

प्रयोगशाला का नाम	इकाइयों की संख्या
विज्ञान प्रयोगशालाए	2
शिक्षा प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाए	2
शिक्षा मनोविज्ञान प्रयोगशालाएं	2
सामाजिक विज्ञान प्रयोगशालाएं	2
कला और शिल्प प्रयोगशाला	1
भाषा प्रयोगशाला	1
गृह विज्ञान प्रयोगशाला	1
कम्प्यूटर प्रयोगशालाए	3
पोषण प्रयोगशाला	1
शरीर रचना विज्ञान और शरीर क्रिया	1
विज्ञान प्रयोगशाला	

111 4 (97) (101/911 (101 47, 1/1/19) 10, 2010 (33/33)	भाग ४	(क) राजस्थान राज–पत्र, सितम्बर 16, 2013 63(३	35)	
---	-------	----	--	-----	--

सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग प्रयो	1	
आधारभूत नर्सिंग प्रयोगशाला		1
मातृ और शिशु स्वास्थ्य प्रयोगशाला	नर्सिंग	1
	कुल	19

(iii) वाचनालय : हां, केन्द्रीय पुस्तकालय के भाग के रूप में

(iv) पत्र-पत्रिकाए : 24

	शाखा		पत्र-पत्रिकाए
शिक्षा			17
नर्सिंग			7
		कुल	24

(v) अन्य सुविधाएं :

कैन्टीन व्यायामशाला पार्किंग वाई–फाई निवेश

5. सह-पाठचचर्या क्रियाकलापों के लिए सुविधाएं :

आउटडोर खेलः

क्रिकेट फुटबाल कबड्डी खो—खो ट्रैक स्पर्धाएं वालीबाल

इन्डोर खेलः

बैडिमंटन कैरम शतरंज टेबिल टेनिस

अनुसूची 2

शाखाएं जिनमें विश्वविद्यालय अध्ययन और अनुसंधान का जिम्मा लेगाः

- 1. शिक्षा
- 2. आयुर्विज्ञान
- 3. विज्ञान
- 4. सामाजिक विज्ञान और मानविकी
- 5. वाणिज्य
- 6, अभियांत्रिकी
- ७. विधि
- 8. पर्यटन और आतिथ्य
- 9. प्रबंधन

अनुसूची 3

अवसंरचना

- 1. भूमिः एल.आईजी.एच. सं. कमला नेहरू नगर जोधपुर जोधपुर में समाविष्ट 5 एकड़ भूमि।
- 2. भवन :

(i) प्रशासनिक खण्ड :

(क) इकाइयों की संख्या और प्रवगः 38

इकाइयों का प्रवर्ग	इकाइयों की
	संख्या
1	2
चेयरपर्सन के कार्यालय	1
चेयरपर्सन के चैम्बर	2
आगंतुक लाउन्ज	1

स्विधाएं	1
प्रेसीडेन्ट क कार्यालय	2
सम्मेलन कक्ष	1
श्रव्य पैनल कक्ष	1
छात्र परामर्शदाता का कार्यालय	1
कुलानुशासक का कार्यालय	1
कुल-सचिव के कार्यालय	2
कार्यालय कक्ष	8
जन संपर्क अधिकारी का कार्यालय	1
केरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ और प्लेसमेंट प्रकोष्ठ	1
शैक्षणिक शाखा	1
विकास शाखा	1
स्थापन शाखा	1
परीक्षा शाखा	1
निवेश रख–रखाव प्रकोष्ठ	1
भंडार	1
स्वागत कक्ष	1
1	2
मुख्य वित्त और लेखा अधिकारी का कार्यालय	2
स्ट्रोंग रूम	1
लेखा अनुभाग	1
नकदी कार्यालय	1
सीनेट हाल	1
गोपनीय शाखा	1
कुल	38

(ख) कुल आच्छादित क्षेत्र का माप : 1,720.08 वर्ग मीटर

(ii) शैक्षणिक खण्ड :

(क) इकाइयों की संख्या और प्रवर्ग : 119

इकाइयों का प्रवर्ग	इकाइयों की संख्या
1	2

संकायाध्यक्षों के कार्यालय	6
भंडार कक्ष	4
कक्षाएं	38
क्रीडा भंडार कक्ष	1
परीक्षा कक्ष	3
परीक्षा भंडार कक्ष	1
कर्मचारिवृन्द कक्ष	10
प्रयोगशालाएं	19
कार्यालय	4
प्राचार्य के कायालय	3
बहुउद्देशीय हाल	2
स्वागत कक्ष	1
क्रीडा कक्ष	3
सेमीनार हाल	2
छात्रा कामन कक्ष	2
छात्र कामन कक्ष	2
व्याख्यान हॉल	11
1	2
सम्मेलन हाल	1
उप–प्राचार्य का कक्ष	1
जेरोक्स कक्ष	1
श्रव्य—दृश्य कक्ष	1
केन्द्रीय पुस्तकालय	1
जनरेटर कक्ष	1
विश्राम कक्ष	1
कुल	119

(ख) कुल आच्छादित क्षेत्र का माप : 10,247.43 वर्ग मीटर

(iii) निवासीय खण्ड :

(क) अध्यापकों / अधिकारियों के निवास :

(i) इकाइयों की संख्या और प्रवर्ग : 54

इकाइयों का प्रवर्ग	इकाइयों की संख्या
कर्मचारिवन्द निवास	2

(ख) छात्र निवास :

(i) इकाइयों की संख्या और प्रवर्ग : 54

इकाइयों का प्रवर्ग	इकाइयों की संख्या
कक्ष	50
रसोई	1
रसोई भण्डार	1
वार्डन कक्ष	1
पुस्तकालय और आमोद-प्रमोद कक्ष	1
कुल	54

(ii) कुल आच्छादित क्षेत्र का माप : 2,087.48 वर्ग मीटर

कुल संनिर्मित क्षेत्र : 14,054.99 वर्ग मीटर

3. संकाय (वि.अ.आ. के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार नियुक्त किए जाएंगे)

आचार्य	08
सह आचार्य	16
सहायक आचार्य	32

4. शैक्षणिक सुविधाएं :

(i) पुस्तकालय : 01

शाखा	पुस्तकें	शीर्षक	एनसाइक्लोपीडिया
शिक्षा	8344	894	09
नर्सिंग	2419	633	02
कला	210	60	08
वाणिज्य	186	178	_
कम्प्यूटर	36	22	_
विज्ञान			
कुल	11,195	1,787	19

(ii) प्रयोगशालाः 19

|--|

00/10	\	. A	o TTTT (- (-)
63(40)) - राजस्थान राज—५३	१, सितम्बर १६, २०१३	भाग 4 (क)

विज्ञान प्रयोगशालाए	2
शिक्षा प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाए	2
शिक्षा मनोविज्ञान प्रयोगशालाएं	2
सामाजिक विज्ञान प्रयोगशालाएं	2
कला और शिल्प प्रयोगशाला	1
भाषा प्रयोगशाला	1
गृह विज्ञान प्रयोगशाला	1
कम्प्यूटर प्रयोगशालाए	3
पोषण प्रयोगशाला	1
शरीर रचना विज्ञान और शरीर क्रिया	1
विज्ञान प्रयोगशाला	
सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग प्रयोगशाला	1
आधारभूत नर्सिंग प्रयोगशाला	1
मातृ और शिशु स्वास्थ्य नर्सिंग	1
प्रयोगशाला	
कुल	19

(iii) वाचनालय : हां, केन्द्रीय पुस्तकालय के भाग के रूप में।

(iv) पत्र-पत्रिकाएं : 24

शाखा		पत्र-पत्रिकाएँ
शिक्षा		17
नर्सिंग		7
	कुल	24

(v) अन्य सुविधाएं :

एल.सी.डी. प्रोजेक्टर कक्षाएं — 9 कैन्टीन — 1 व्यायामशाला — 1

5. सह-पाठ्यचर्या क्रियाकलापों के लिए सुविधाएं :

आउटडोर खेलः

क्रिकेट फुटबाल कबड्डो खो—खो ट्रैक स्पर्धाएं वालीबाल इन्डोर खेलः बैडमिंटन कैरम शतरंज टेबिल टेनिस

> प्रकाश गुप्ता, **प्रमुख शासन सचिव।**

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT (GROUP-II)

NOTIFICATION

Jaipur, September 16, 2013

No. F. 2 (57) Vidhi/2/2013.—In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Maulana Azad Vishwavidyalaya, Jodhpur Adhiniyam, 2013 (2013 Ka Adhiniyam Sankhyank 35):—

(Authorised English Translation) THE MAULANA AZAD UNIVERSITY, JODHPUR ACT, 2013

(Act No. 35 of 2013)

[Received the assent of the Governor on the 15th day of September, 2013]

An

Act